न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– सुन्दर लाल खारोल, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

हिन्दू विवाह अधि0 प्रार्थना पत्र सं.:– **62 / 2024**

श्रीमती कमला पुत्री श्रवणराम निवासी दुर्गा माता मंदिर रोड़ा, बासा, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

––प्रार्थीया

बनाम

पूरणराम पुत्र हणमानाराम निवासी पलाड़ा, जिला, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

––अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दू विवाह अधिनियम

::–उपस्थिति::–

1– श्री रमेश चौधरी – अधिवक्ता, प्रार्थीया की ओर से
2– अप्रार्थी के विरूद्ध – एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश

–:: आदेश ::–

दिनांक :–29-04-2025

1. प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दिनांक 02–05–2024 को प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 28–08–1993 को ग्राम दुर्गा माता मंदिर, रोड़ा, बांसा, जिलाः डीडवाना–कुचामन में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह के उपरान्त अप्रार्थी के संसर्ग से प्रार्थीया के तीन संताने उत्पन्न हुई। विवाह के कुछ समय पश्चात् अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति क्रूर होने लगा एवं अप्रार्थी बिना किसी बात के प्रार्थीया से लड़ाई–झगड़ा कर ताने देने लगा। प्रार्थीया के परिवार वालों ने भी अप्रार्थी व उसके घर वालों को समझाने का प्रयास किया, किन्तु उसके बाद अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने प्रार्थीया के साथ अधिक क्रूर व्यवहार कर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंग व परेशान करने लग गये।
2. प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में आगे यह वर्णित किया है कि कुछ समय बाद समाज के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में सामाजिक

राजीनामा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने विवाह सम्बन्ध में समाप्त कर लिये। प्रार्थीया पिछले छः वर्षों से अलग निवास कर रही है। अब प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का साथ रहना कतई संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्यायालय शुल्क के साथ प्रस्तुत है। पक्षकारान के मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। इसलिए प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य सम्पन्न हुये विवाह को विच्छेदित करने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी के बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 23–05–2024 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार इस प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थी की ओर से कोई न तो जवाब पेश किया गया है एवं न ही पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है।
4. इस प्रार्थना–पत्र में साक्ष्य प्रार्थीया में प्रार्थीया श्रीमती कमला ने स्वयं के बयान बतौर ए.ड.–1 बयान लेखबद्ध करवाये है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 आधार कार्ड की प्रति को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है।
5. बहस प्रार्थना–पत्र एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।
6. प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थीया श्रीमती कमला बतौर ए.ड.–1 परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही कथन करते हुये यह साक्ष्य दी है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 28–08–1993 को ग्राम दुर्गा माता मंदिर, रोड़ा, बांसा, जिलाः डीडवाना–कुचामन में हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह के उपरान्त अप्रार्थी के संसर्ग से प्रार्थीया के तीन संताने उत्पन्न हुई। विवाह के कुछ समय पश्चात् अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति क्रूर होने लगा एवं अप्रार्थी बिना किसी बात के प्रार्थीया से लड़ाई–झगड़ा कर ताने देने लगा। प्रार्थीया के परिवार वालों ने भी अप्रार्थी व उसके घर वालों को समझाने का प्रयास किया, किन्तु उसके बाद अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने प्रार्थीया के साथ अधिक क्रूर व्यवहार कर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंग व परेशान करने लग गये। कुछ समय बाद समाज के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में सामाजिक राजीनामा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने विवाह सम्बन्ध में समाप्त कर

लिये। प्रार्थीया पिछले छः वर्षों से अलग निवास कर रही है। अब प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का साथ रहना कतई संभव नहीं है। प्रार्थीया ए.ड.–1 श्रीमती कमला ने अपने सशपथ कथनों के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड की प्रति को प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित कराया है।

7. प्रार्थीया ने जो साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं, उसमें उसने अप्रार्थी द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के तथ्य प्रस्तुत किये है। प्रार्थीया की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत आधार कार्ड प्रदर्श–1 के अनुसार प्रार्थीया का अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी होने का तथ्य प्रमाणित होता है।
8. प्रार्थीया की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई हैं, उसके खण्डन में अप्रार्थी की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। इस कारण प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अप्रार्थी की ओर से प्रार्थीया के साथ क्रूरता कारित कर करीब 6 वर्ष से प्रार्थीया का अभित्यजन करने का तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता हैं और जो साक्ष्य प्रार्थीया ने प्रस्तुत की हैं, उससे प्रार्थीया की ओर से इस प्रार्थना–पत्र में अभिकथित किये गये तथ्यों की पुष्टि होती हैं।
9. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में उपंबधित किये गये प्रावधानों के अनुरूप अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाकर परित्यक्त किये जाने के आधार पर विवाह–विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती हैं। इस प्रार्थना–पत्र में भी प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी के द्वारा क्रूरता कारित कर परित्यक्त किये जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ हैं और ऐसे तथ्यों एंव विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत किया गया यह आवेदन एकपक्षीय रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

::–आदेशः:–

10. परिणामतः प्रार्थीया श्रीमती कमला पुत्री श्रवणराम निवासी दुर्गा माता मंदिर रोड़ा, बासा, जिलाः डीडवाना–कुचामन की ओर से धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय रूप में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया श्रीमती कमला व अप्रार्थी पूरणराम के मध्य दिनांक 28–08–1993 को ग्राम दुर्गा माता मंदिर रोड़ा, बासा, जिलाः डीडवाना–कुचामन में हुए विवाह को

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत किये गये इस आवेदन के आधार पर विघटित किया जाता हैं तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 28–08–1993 को हुए विवाह को विच्छेदित किये जाने की डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं। इस निर्णय के अनुरूप डिक्री निर्मित की जावें।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन सिटी।

11. आदेश आज दिनांक 29–04–2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन सिटी।